अध्याय-2

जल जीवन मिशन का आउटपुट-आउटकम फ्रेमवर्क

यह अध्याय जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत राज्य की प्रगति का आंकलन प्रस्तुत करता है, जिसमें प्राथमिक समावेशन, ग्राम प्रमाणन, निगरानी प्रणालियां तथा सामुदायिक सहभागिता जैसे प्रमुख क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है।

2.1 हर ग्रामीण परिवार को 2024 तक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराना

जेजेएम के अन्तर्गत प्रमुख लक्ष्य दिसंबर 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को एफएचटीसी प्रदान करना था। इस लक्ष्य को निम्न प्रकार मापा जा सकता है:

- उपलब्ध कराए गए एफएचटीसी की संख्या एवं
- उन कनेक्शनों की पर्याप्त मात्रा तथा गुणवत्तायुक्त पानी उपलब्ध कराने में कार्यशीलता।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ग्रामीण परिवारों को एफएचटीसी उपलब्ध कराने की प्रगति धीमी रही। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा चिन्हित फोकस क्षेत्रों में भी क्रियान्वयन पीछे चल रहा था।

इस विषय पर आगे के अनुच्छेदों में विस्तृत चर्चा की गई है।

2.1.1 जल जीवन सर्वेक्षण में राज्य की पिछड़ी हुई स्थिति

भारत सरकार का पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जेजेएम को लागू करने वाले सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रतिमाह जल जीवन सर्वेक्षण का आयोजन करता है। इसके आधार पर राज्यों को एफएचटीसी समावेशन में उनके प्रदर्शन के अनुसार राष्ट्रीय रैंकिंग प्रदान की जाती है। पाँच[1] श्रेणियों में से राजस्थान राज्य लगातार दूसरी बार सबसे निचली श्रेणी में रहा तथा अक्टूबर 2022 से मार्च 2024 की अवधि के दौरान राज्य की रैंकिंग कुल 34 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में 30वें से लेकर 34वें स्थान के मध्य रही। एफएचटीसी समावेशन कम रहने का मुख्य कारण कार्यों के आवंटन में विलंब, क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं (आरडब्ल्यूएसएस) के पूर्ण होने में देरी तथा उपलब्ध निधियों का कम उपयोग आदि रहा, जैसा कि आगामी अध्यायों में विस्तार से चर्चा की गई है।

यह जेजेएम के अंतर्गत एफएचटीसी समावेशन करने में अन्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की तुलना में राज्य के अत्यंत खराब प्रदर्शन को दर्शाता है।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (नवंबर 2025) कि इसका कारण रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण सामग्री की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि, निविदादाताओं की भागीदारी न

---

[1] (i) आकांक्षी (0 प्रतिशत से 25 प्रतिशत से कम), (ii) प्रदर्शक (25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत से कम), (iii) उपलब्धिकर्ता (50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत से कम), (iv) उच्च उपलब्धिकर्ता (75 प्रतिशत से 100 प्रतिशत से कम) तथा (v) अग्रणी (100 प्रतिशत)।

होना तथा संवेदकों द्वारा कार्यों में धीमी प्रगति रही। तथापि, उत्तर में बताए गए कारण स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि कम एफएचटीसी समावेशन के मुख्य कारण कार्यों के आवंटन में विलंब, आरडब्ल्यूएसएस के पूर्ण होने में देरी तथा उपलब्ध निधियों का कम उपयोग आदि थे।

2.1.2 एफएचटीसी का समावेशन

15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन के आरम्भ के समय राजस्थान में 1,07,75,281 ग्रामीण परिवार थे। जेजेएम रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 11,68,553 परिवारों (10.84 प्रतिशत) के पास पहले से ही नल जल कनेक्शन उपलब्ध थे।

इस प्रकार दिसंबर 2024 तक जेजेएम के अंतर्गत 96,06,728 परिवारों को ही एफएचटीसी प्रदान किए जाने थे। 6 जनवरी 2025 तक, राज्य द्वारा 47,58,804 एफएचटीसी प्रदान किए गए, जो चिन्हित परिवारों का मात्र 49.54 प्रतिशत है तथा निर्धारित लक्ष्य के आधे से भी कम है।

जेजेएम के अंतर्गत स्पष्ट रूप से निर्धारित बेसलाइन एवं पाँच वर्षों की क्रियान्वयन अवधि होने के बावजूद, राजस्थान जनवरी 2025 तक चिन्हित ग्रामीण परिवारों में से केवल लगभग आधे परिवारों को ही नल जल कनेक्शन उपलब्ध करा सका। दिसंबर 2024 तक अभिप्रेत सार्वभौमिक समावेशन के लक्ष्य से लगभग 50 प्रतिशत की कमी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण विलंब को दर्शाती है, जो निर्धारित समय-सीमा में मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में अपर्याप्त प्रगति को इंगित करता है।

राज्य के ग्रामीण परिवारों को एफएचटीसी प्रदान किए जाने की वर्षवार प्रगति नीचे **चार्ट-2.1** में दर्शाई गई है:

चार्ट-2.1: जेजेएम के अंतर्गत परिवारों का समावेशन

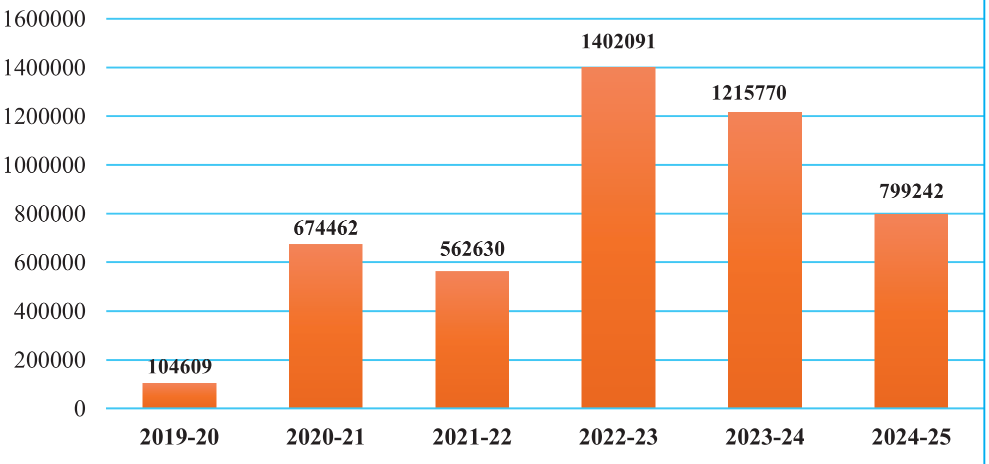

स्रोतः www.ejalshakti.gov.in पर उपलब्ध जेजेएम रिपोर्ट्स एवं डैशबोर्ड (07 जनवरी 2025 तक)

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (अगस्त 2025) अवगत कराया कि निविदा प्रक्रिया तथा कार्यों के निष्पादन की प्रगति में तेजी लाई जा रही है एवं जेजेएम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने आगे अवगत कराया

(नवंबर 2025) कि लेखापरीक्षा के पश्चात क्रमिक रूप से दो लाख से अधिक एफएचटीसी की प्रगति हुई है।

2.1.3 हर घर जल प्रमाणन

जेजेएम के अंतर्गत 'हर घर जल' (एचजीजे) प्रमाणन की परिकल्पना उन सभी ग्रामों के लिए की गई है, जहाँ 100 प्रतिशत समावेशन की सूचना दी जाती है। यह प्रमाणन प्रक्रिया सामुदायिक स्वामित्व सुनिश्चित करने एवं नल कनेक्शनों के समावेशन तथा कार्यशीलता के संबंध में समुदाय से पुष्टि प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

07 जनवरी 2025 की स्थिति के अनुसार यह पाया गया कि राजस्थान के 302 ब्लॉकों में से केवल एक ब्लॉक (शाहपुरा जिले का बिजौलिया) के 100 प्रतिशत ग्रामों ने एचजीजे प्रमाणन प्राप्त किया है।

इसके अतिरिक्त, राजस्थान की कुल 11,239 ग्राम पंचायतों (जीपी) एवं 42,327 ग्रामों में से मात्र 400 ग्राम पंचायतों (3.56 प्रतिशत) तथा 4,254 ग्रामों (10.05 प्रतिशत) को ही एचजीजे हासिल करने हेतु प्रमाणित किया गया है, जैसा कि नीचे **चार्ट 2.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट-2.2: ग्राम पंचायतों/ग्रामों में एचजीजे प्रमाणन की स्थिति

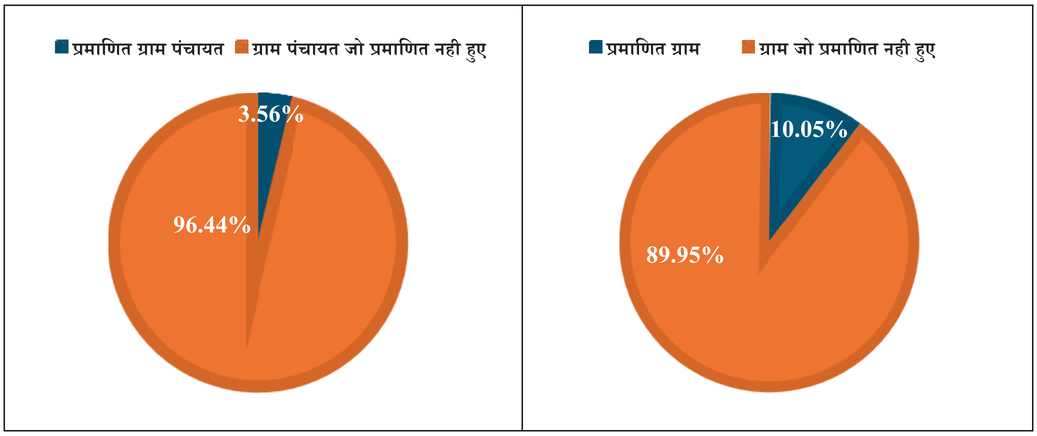

जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा में ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वभौमिक नल जल आपूर्ति समावेशन प्राप्त करने में राजस्थान राज्य उल्लेखनीय रूप से पिछड़ गया, क्योंकि जनवरी 2025 तक चिन्हित परिवारों में से लगभग आधे परिवारों को ही एफएचटीसी उपलब्ध कराए जा सके। निर्धारित लक्ष्य की तुलना में यह महत्वपूर्ण अंतर क्रियान्वयन में विलंब एवं अपर्याप्तता को दर्शाता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की समय पर एवं सार्वभौमिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के मिशन के उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। निम्न प्रमाणन दर न केवल ग्राम के सभी परिवारों, विद्यालयों एवं आंगनवाड़ियों के पूर्ण समावेशन की कमी को दर्शाती है, बल्कि परियोजनाओं के आगामी संचालन एवं रखरखाव हेतु योजना को अपने अधीन लेने के प्रति ग्राम पंचायतों की इच्छाशक्ति की कमी को भी प्रतिबिंबित करती है।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (नवंबर 2025) कि आदिनांक तक 358 में से 05 ब्लॉक (1.40 प्रतिशत), 11,238 में से 508 ग्राम पंचायतें (4.52 प्रतिशत) एवं 42,327 में से 5,047 ग्राम (11.92 प्रतिशत) एचजीजे से प्रमाणित किए जा चुके हैं। यह भी

अवगत कराया गया कि सभी पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आयोजित की जाने वाली विशेष ग्राम सभाओं में एचजीजे प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया है।

2.1.4 प्राथमिकता प्राप्त बस्तियों के परिवारों को एफएचटीसी उपलब्ध कराने के लक्ष्य की प्राप्ति में उल्लेखनीय कमी

जेजेएम के उद्देश्यों के अनुसार, बस्तियों जैसे जल गुणवत्ता से प्रभावित बस्तियों, सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत चयनित ग्रामों आदि, के परिवारों को एफएचटीसी उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जानी थी।

दिशा-निर्देशों/भारत सरकार के अनुवर्ती निर्देशों के अनुसार, जेजेएम के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, कल्याण केंद्रों तथा अन्य सार्वजनिक संस्थानों के साथ-साथ विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (पीवीटीजी) की बस्तियों, आकांक्षी जिलों तथा मिशन उत्कर्ष के अंतर्गत समावेशित जिलों को भी प्राथमिकता प्रदान की जानी थी।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि इन प्राथमिकता प्राप्त बस्तियों का समावेशन करनें में महत्वपूर्ण कमी रही, जिसका विवरण निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिया गया है।

2.1.4.1 जल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियाँ

जेजेएम के अंतर्गत जल गुणवत्ता से प्रभावित बस्तियों को प्राथमिकता श्रेणी में रखा गया था। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (एनजेजेएम) द्वारा भी, वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक कार्य-योजना (एएपी) को स्वीकृत करते समय (जुलाई 2021), ऐसी बस्तियों के समावेशन पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी गई थी। दिनांक 01 अप्रैल 2019 की स्थिति के अनुसार, राजस्थान में कुल 17,516 जल गुणवत्ता से प्रभावित बस्तियाँ थीं। दिनांक 01 अप्रैल 2024 तक जेजेएम के अंतर्गत इनमें से केवल 8,514 बस्तियों को ही समावेशित किया जा सका। शेष 9,002 बस्तियाँ (51.39 प्रतिशत) अब भी समावेशन से बाहर थीं और परिणामस्वरूप इन बस्तियों को अभी तक सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकी, जैसा कि नीचे **तालिका 2.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1: जल गुणवत्ता से प्रभावित बस्तियाँ एवं उनका समावेशन

क्रम सं.	संदूषक का प्रकार	01 अप्रैल 2019 तक प्रभावित बस्तियों की संख्या	01 अप्रैल 2024 तक बस्तियों के समावेशन की स्थिति	
			समावेशित की गयी	अभी समाविष्ट किया जाना शेष है (*प्रतिशत में*)
1.	फ्लोराइड प्रभावित	4,349	4,239	110 (2.53)
2.	लौह प्रभावित	5	1	4 (80.00)
3.	लवणता प्रभावित	12,247	3,780	8,467 (69.14)
4.	नाइट्रेट प्रभावित	915	494	421 (46.01)
कुल		**17,516**	**8,514**	**9,002 (51.39)**

स्रोत: www.ejalshakti.gov.in पर उपलब्ध जेजेएम रिपोर्ट

उपरोक्त **तालिका 2.1** यह दर्शाती है कि:

1. जेजेएम के क्रियान्वयन के पाँच वर्ष पश्चात् भी 01 अप्रैल 2024 तक जल गुणवत्ता से प्रभावित कुल 17,516 बस्तियों में से केवल 8,514 बस्तियों (48.61 प्रतिशत) का ही समावेशन किया जा सका, जिससे अधिकांश बस्तियाँ (51.39 प्रतिशत) अब भी सुरक्षित पेयजल समाधान से वंचित रहीं।

2. फ्लोराइड से प्रभावित बस्तियों में अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम देखे गए, जहाँ 97.47 प्रतिशत समावेशन प्राप्त किया गया, जो इस श्रेणी में लक्षित हस्तक्षेप को दर्शाता है। इसके विपरीत, लवणता से प्रभावित बस्तियाँ, जो कुल प्रभावित बस्तियों का सर्वाधिक (लगभग 70 प्रतिशत) हिस्सा हैं, में केवल 30.86 प्रतिशत समावेशन दर्ज किया गया, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर को दर्शाता है।

3. नाइट्रेट से प्रभावित बस्तियों का समावेशन मात्र 53.99 प्रतिशत रहा, जिसके कारण लगभग आधी बस्तियाँ अब भी स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनी हुई हैं, जबकि लौह-प्रभावित बस्तियों में नगण्य प्रगति हुई, जहाँ यद्यपि मूल संख्या कम है, फिर भी 80 प्रतिशत बस्तियाँ अब भी असमावेशित रहीं।

4. आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि क्रियान्वयन प्रयास, प्रदूषण की मात्रा एवं जटिलता के प्रति पर्याप्त रूप से अनुरूप नहीं थे, विशेष रूप से लवणता एवं नाइट्रेट से प्रभावित क्षेत्रों में, जहाँ अधिक पूंजीयुक्त एवं तकनीकी रूप से ठोस समाधानों की आवश्यकता होती है।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (अगस्त 2025) कि जल गुणवत्ता से प्रभावित बस्तियों को ₹ 71,674 करोड़ की सतही जल आधारित परियोजनाओं के अंतर्गत समावेशित किया जाना प्रस्तावित है। इनमें से ₹ 31,000 करोड़ की परियोजनाओं हेतु कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं तथा शेष प्रक्रियाधीन हैं। आगे राज्य सरकार ने यह भी अवगत कराया (नवंबर 2025) कि अक्टूबर 2025 तक जेजेएम के अंतर्गत अब केवल जल गुणवत्ता से प्रभावित 7,817 बस्तियाँ (44.62 प्रतिशत) ही समावेशित होनी बकाया हैं।

2.1.4.2 आकांक्षी जिलों एवं सांसद आदर्श ग्राम योजना के ग्रामों में स्थित बस्तियाँ

जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों की धारा 3.6.1 के अनुसार, मार्च 2021 तक आकांक्षी जिलों एवं सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के ग्रामों को समावेशित करने हेतु एफएचटीसी उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी जानी थी। तथापि, यह लक्ष्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त नहीं किया जा सका। इसके पश्चात् एनजेजेएम द्वारा जून 2022 में वर्ष 2022-23 की वार्षिक कार्य-योजना को स्वीकृत करते समय पुनः यह निर्देशित किया गया कि आकांक्षी जिलों के समावेशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, जिसके लिए संशोधित समय-सीमा 31 दिसंबर 2022 निर्धारित की गई है।

उक्त निर्देशों के बावजूद, राजस्थान में प्रगति संतोषजनक नहीं रही। पाँच आकांक्षी जिलों के अंतर्गत कुल 8,97,549 ग्रामीण परिवारों में से दिनांक 02 जनवरी 2025 तक केवल 4,24,305 परिवारों (47.27 प्रतिशत) को ही एफएचटीसी उपलब्ध कराए जा सके। इससे यह स्पष्ट होता

है कि इन जिलों के शेष 52.73 प्रतिशत परिवार अब भी जेजेएम के अंतर्गत नल जल सुविधा की प्राप्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे, जैसा कि नीचे **तालिका 2.2** एवं **चार्ट 2.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: पांच आकांक्षी जिलों में कुल एफएचटीसी समावेशन

क्रम सं.	ज़िला	कुल परिवार	नल कनेक्शन की स्थिति (15 अगस्त 2019 तक)	उपलब्ध कराए गए एफएचटीसी (02 जनवरी 2025 तक)	एफएचटीसी समावेशन (प्रतिशत में)
1.	बारां	2,37,642	14,149	83,034	34.94
2.	धौलपुर	1,81,980	3,798	80,809	44.41
3.	जैसलमेर	1,22,944	2,442	49,773	40.48
4.	करौली	1,67,877	10,054	1,03,799	61.83
5.	सिरोही	1,87,106	38,080	1,06,890	57.13
कुल		**8,97,549**	**68,523**	**4,24,305**	**47.27**

स्रोतः www.ejalshakti.gov.in पर उपलब्ध जेजेएम रिपोर्ट

तालिका 2.2 से प्राप्त प्रमुख निष्कर्षः

1. जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों (खंड 3.6.1) में स्पष्ट प्रावधानों तथा एनजेजेएम द्वारा आकांक्षी जिलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने संबंधी बार-बार जारी निर्देशों के बावजूद, राजस्थान राज्य, मूल (मार्च 2021) एवं संशोधित (दिसंबर 2022) दोनों समय-सीमाओं में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सका।

2. जनवरी 2025 तक, पाँच आकांक्षी जिलों में कुल 8.98 लाख ग्रामीण परिवारों में से केवल 4.24 लाख (47.27 प्रतिशत) परिवारों को ही एफएचटीसी उपलब्ध कराए जा सके, जबकि अधिकांश परिवार (52.73 प्रतिशत) अब भी नल जल सुविधा से वंचित रहे।

3. समावेशन स्तरों में व्यापक अंतर पाया गया, जो बारां जिले में निम्नतम 34.94 प्रतिशत से लेकर करौली जिले में 61.83 प्रतिशत तक था। तीन जिले-बारां, धौलपुर एवं जैसलमेर, 45 प्रतिशत से कम समावेशन पर रहे, जो उन जिलों, जिनमे विशेष ध्यान दिया जाना था, में असमान क्रियान्वयन तथा कमजोर अभिसरण को दर्शाता है।

4. अगस्त 2019 की प्रारंभिक स्थिति से ही इन जिलों में नल जल समावेशन अत्यंत कम था, जो त्वरित एवं सघन हस्तक्षेप की आवश्यकता को रेखांकित करता है । पाँच वर्षों से अधिक अवधि में अर्जित मध्यम प्रगति, उच्च आवश्यकता वाले जिलों में आयोजना, निष्पादन एवं निगरानी प्रयासों के विस्तार की अपर्याप्तता को इंगित करती है।

5. बार-बार प्राथमिकता दिए जाने के बावजूद आकांक्षी जिलों में निरंतर पिछड़ापन, क्रियान्वयन संबंधी कमियों की ओर संकेत करता है, जो जल जीवन मिशन के समानता-केन्द्रित स्वरुप को क्षीण बनाता है। इन जिलों को त्वरित गति से आगे बढ़ाने में विफलता, सुरक्षित पेयजल तक पहुँच में क्षेत्रीय एवं विकासात्मक असमानताओं को कम करने का मिशन का उद्देश्य कमजोर करती है।

समावेशन की स्थिति को नीचे दिए गए **चार्ट 2.3** में भी दर्शाया गया हैः

चार्ट 2.3: जेजेएम के अन्तर्गत एफएचटीसी समावेशन

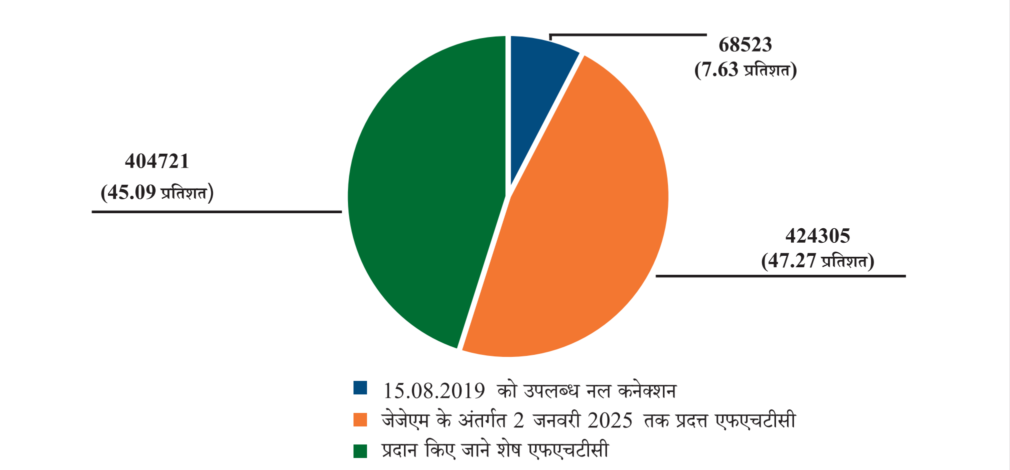

इसके अतिरिक्त, आईएमआईएस के आंकड़ों से यह भी प्रकट हुआ कि राजस्थान में एसएजीवाई ग्रामों के रूप में चिन्हित 188 ग्राम पंचायतों में से 02 जनवरी 2025 तक केवल 33 ग्राम पंचायतें ही 100 प्रतिशत एफएचटीसी समावेशन प्राप्त कर सकी थीं। यह आंकड़ा उच्च-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में जेजेएम के लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण कमी को दर्शाता है।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (नवंबर 2025) कि विभाग द्वारा इन जिलों में समावेशन को तीव्र गति से बढ़ाने हेतु त्वरित प्रयास किए जा रहे हैं तथा सरकार शीघ्रातिशीघ्र 100 प्रतिशत एफएचटीसी समावेशन प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

2.1.4.3 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) की बस्तियाँ

भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) का आरम्भ किया गया, जिसका उद्देश्य उन 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का लक्षित विकास करना था, जो मुख्यधारा की योजनाओं से वंचित रह गए हों। यह योजना उन 11 महत्वपूर्ण उदेश्यों पर केंद्रित है, जिनमें वंचित पीवीटीजी बस्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना भी सम्मिलित है।

इसके अनुरूप, भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) द्वारा सभी राज्यों को परामर्श जारी किया गया (11 दिसंबर 2023), जिसमें 22 दिसंबर 2023 तक सभी पीवीटीजी ग्रामों/बस्तियों को आईएमआईएस में टैग करने तथा 31 दिसंबर 2023 तक पेयजल आपूर्ति से संबंधित बकाया कार्यों के आवंटन के निर्देश दिए गए।

राजस्थान में केवल एक पीवीटीजी जिला (बारां) चिन्हित किया गया था, जिसमें दिसंबर 2023 तक कुल 26,155 परिवारों की 399 पीवीटीजी बस्तियाँ सम्मिलित थी। इनमें से, 361 पीवीटीजी बस्तियों को आईएमआईएस में मैप किया गया (अगस्त 2024)।

तथापि, 09 अगस्त 2024 को तैयार की गई पीवीटीजी बस्तियों में एफएचटीसी की स्थिति रिपोर्ट से निम्नलिखित तथ्य सामने आएः

- केवल 90 बस्तियाँ (22.56 प्रतिशत), जिनमें 7,571 परिवार (28.95 प्रतिशत) सम्मिलित थे, को समावेशन हेतु योजना में सम्मिलित किया गया।

- इन 7,571 परिवारों में से मात्र 153 परिवारों (पीवीटीजी बस्तियों के कुल परिवारों का मात्र 0.58 प्रतिशत) को ही वास्तव में एफएचटीसी प्रदान किए गए।

उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि स्पष्ट निर्देशों एवं नीति-स्तर पर प्राथमिकता दिए जाने के बावजूद पीवीटीजी क्षेत्रों में एफएचटीसी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण कमी बनी हुई है।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (अगस्त एवं नवंबर 2025) कि बारां जिले में प्रगति धीमी रहने का मुख्य कारण एक वृहद् परियोजना (परवन अकावड़ जल आपूर्ति परियोजना) की स्वीकृति में हुई देरी है तथा विभाग द्वारा पीवीटीजी जिलों में समावेशन को तीव्र गति से बढ़ाने हेतु त्वरित प्रयास किए जा रहे हैं।

2.1.4.4 मिशन उत्कर्ष के अंतर्गत चिन्हित जिलों में जेजेएम का क्रियान्वयन

मिशन उत्कर्ष नीति आयोग की एक पहल है, जिसका उद्देश्य विभिन्न विभागों की योजनाओं का मिशन मोड में, सभी हितधारकों के अभिसरण के साथ, जिलों में संतृप्ति स्तर तक क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। जेजेएम के अंतर्गत, 10 जिले[2] उनके सभी ग्रामीण परिवारों को एफएचटीसी उपलब्ध कराने हेतु त्वरित सुधार एवं संतृप्ति के लिए चयनित किए गए। इसके अनुरूप, भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) ने नवंबर 2022 में सभी राज्यों से, मिशन उत्कर्ष के अंतर्गत चिन्हित इन 10 जिलों में जेजेएम की योजना एवं क्रियान्वयन की समीक्षा करने का अनुरोध किया।

राजस्थान में मिशन उत्कर्ष के अंतर्गत क्रियान्वयन हेतु बारां जिला चिन्हित किया गया था। जेजेएम के अंतर्गत बारां जिले की बस्तियों के समावेशन की स्थिति नीचे **तालिका 2.3** में दी गई है:

तालिका 2.3: जेजेएम के अन्तर्गत बारां जिले की बस्तियों का समावेशन

मिशन उत्कर्ष के अन्तर्गत समावेशित होने वाले कुल परिवारों की संख्या (02 जनवरी 2025 तक)	**मौजूदा एफएचटीसी का विवरण (15 अगस्त 2019 तक)**	**जेजेएम के अन्तर्गत समावेशित होने वाले बाकी परिवारों की संख्या**	**जेजेएम के अन्तर्गत समावेशित किए गए परिवार (02 जनवरी 2025 तक)**
2,37,642	14,149 (5.95 प्रतिशत)	2,23,493	68,885 (शेष परिवारों का 30.82 प्रतिशत)

***स्रोत:** www.ejalshakti.gov.in पर उपलब्ध जेजेएम रिपोर्ट*

[2] किफिरे (नागालैंड), गढ़चिरौली (महाराष्ट्र), उधम सिंह नगर (उत्तराखंड), नयागढ़ (ओडिशा), दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ़), गिरिडीह (झारखंड), बारां (राजस्थान), पन्ना (मध्य प्रदेश), दक्षिण सलमारा मनकाचर (असम) और श्रावस्ती (उत्तर प्रदेश)

मिशन उत्कर्ष के अंतर्गत केंद्रित ध्यान एवं अभिसरण के प्रयासों के बावजूद, बारां जिले में प्रगति संतोषजनक नहीं रही। जनवरी 2025 तक, कुल लक्षित 2,37,642 परिवारों में से केवल लगभग 68,885 परिवारों (29 प्रतिशत) को ही एफएचटीसी उपलब्ध कराए जा सके। यह स्थिति, मिशन के पूर्ण संतृप्ति की प्राप्ति के उद्देश्य को देखते हुए, क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण कमी को दर्शाती है।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (अगस्त एवं नवंबर 2025) कि बारां जिले में प्रगति धीमी रहने का कारण एक प्रमुख परियोजना (परवन अकावाड़ जल आपूर्ति परियोजना) की स्वीकृति में हुई देरी है तथा विभाग द्वारा समावेशन में तेजी लाने हेतु त्वरित प्रयास किए जा रहे हैं। अक्टूबर 2025 तक जिले में 86,150 एफएचटीसी (36.25 प्रतिशत) का समावेशन प्राप्त कर लिया गया है।

2.1.4.5 एफएचटीसी युक्त विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र एवं अन्य सार्वजनिक संस्थान

जेजेएम के अन्तर्गत 2 अक्टूबर 2020 को एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य छोटे बच्चों के सार्वजनिक स्वास्थ्य के पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना था, जिसमें सुरक्षित एवं सुनिश्चित पेयजल आपूर्ति हेतु विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों के समावेशन जैसे महत्वपूर्ण हस्तक्षेप शामिल थे । इस अभियान के क्रियान्वयन के लिए राज्यों को रोडमैप सहित दिशा-निर्देश जारी किए गए।

इसके अतिरिक्त, बच्चों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और विद्यालय उपस्थिति को बेहतर बनाने में स्वच्छ पेयजल के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए, एनजेजेएम ने 2022-23 की वार्षिक कार्य-योजना को अनुमोदित करते हुए, राज्यों को अगले कुछ महीनों में सभी विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों और आश्रमशालाओं का पूर्ण समावेशन सुनिश्चित करने का परामर्श दिया (जून 2022)।

यह निर्देश फरवरी 2024 में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री के मध्य आयोजित एक संयुक्त समीक्षा बैठक के दौरान दोहराया गया। बैठक में यह उल्लेख किया गया कि राज्य में सभी विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों और आश्रमशालाओं में एफएचटीसी का समावेशन राष्ट्रीय औसत से पीछे है।

राजस्थान में 27 जनवरी 2025 तक सार्वजनिक संस्थानों के समावेशन की स्थिति नीचे **तालिका 2.4** में प्रस्तुत की गई है:

तालिका 2.4: सार्वजनिक संस्थानों में एफएचटीसी उपलब्ध कराने में प्रगति

विवरण	कुल संख्या	एफएचटीसी समावेशन	समावेशन (प्रतिशत में)
विद्यालय	86,217	35,453	41.12
आंगनवाड़ी केंद्र	53,179	23,826	44.80
स्वास्थ्य केंद्र	15,151	11,164	73.68
पंचायत घर/ जीपी भवन	11,136	9,718	87.27
आश्रमशाला	500	330	66.00
कुल	**1,66,183**	**80,491**	**48.44**

स्रोत: www.ejalshakti.gov.in पर उपलब्ध जेजेएम रिपोर्ट

तालिका 2.4 से प्राप्त प्रमुख निष्कर्षः

1. जनवरी 2025 तक, राजस्थान के केवल 48.44 प्रतिशत (1,66,183 में से 80,491) सार्वजनिक संस्थानों में ही एफएचटीसी का समावेशन हुआ था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश संस्थान अभी भी सुनिश्चित पेयजल आपूर्ति के बिना कार्यरत हैं।

2. विद्यालयों (41.12 प्रतिशत) और आंगनवाड़ी केंद्रों (44.80 प्रतिशत) का समावेशन विशेष रूप से कम रहा, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर इन बाल-केंद्रित संस्थानों को प्राथमिकता देने के निर्देश बार-बार दिए गए थे। इसने जेजेएम के जनस्वास्थ्य एवं स्वच्छता के अभिप्रेत परिणामों को कमजोर कर दिया।

3. प्रशासनिक एवं सेवा संस्थान, जैसे पंचायत भवन/ग्राम पंचायत भवन (87.27 प्रतिशत) और स्वास्थ्य केंद्र (73.68 प्रतिशत), का समावेशन विद्यालयों और आंगनवाड़ियों की तुलना में काफी अधिक रहा, जो क्रियान्वयन में असमान प्राथमिकता को दर्शाता है।

4. आश्रमशालाएं, जो आवासीय विद्यार्थियों को सेवाएं देती हैं, का समावेशन केवल 66 प्रतिशत रहा, जो ऐसे संस्थानों के समयबद्ध व्यापक समावेशन के निर्देशों का अधूरा पालन दर्शाता है।

बार-बार परामर्श और समीक्षा बैठकों के बावजूद मुख्य श्रेणियों में लगातार कमी, जेजेएम के अन्तर्गत आयोजना, निगरानी और फॉलो-अप में कमजोरियों को उजागर करती है, जिससे राज्य में जन स्वास्थ्य-उन्मुख उद्देश्यों की प्राप्ति सीमित रही।

ऐसे महत्वपूर्ण संस्थानों में सुरक्षित पेयजल की अनुपस्थिति स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करती है, स्वच्छता पहलों को कमजोर करती है एवं विद्यालय उपस्थिति तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास पर संभावित प्रभाव डालती है।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (नवंबर 2025) अवगत कराया कि सार्वजनिक संस्थानों में 100 प्रतिशत समावेशन प्राप्त करने के लिए प्रयास तेज किए जा रहे हैं।

2.1.5 सबसे पिछड़े ब्लॉक

कमज़ोर क्षेत्रों में पेयजल पहुँच सुधारने के लिए केंद्रित प्रयास के अन्तर्गत, भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) ने महत्वपूर्ण विकास सूचकांकों यथा सामाजिक-आर्थिक असुरक्षा, कमजोर बुनियादी ढांचा और मूलभूत सेवाओं तक पहुँच की कमी, के आधार पर देश के 100 सबसे पिछड़े ब्लॉकों की पहचान की। इन ब्लॉकों को 17 अक्टूबर 2023 को आईएमआईएस में मैप किया गया, जिसका उद्देश्य जेजेएम के क्रियान्वयन को मिशन मोड में त्वरित करना था। इनमें से, नौ जिलों[3] के 24 ब्लॉक राजस्थान के थे। राजस्थान के इन सबसे

[3] बालोतरा (1), बांसवाड़ा (4), बाड़मेर (9), दौसा (2), डूंगरपुर (1), फलोदी (2), प्रतापगढ़ (2), सांचोर (1) और उदयपुर (2)।

पिछड़े ब्लॉकों में परिवारों को एफएचटीसी प्रदान करने की प्रगति नीचे **तालिका 2.5** में प्रस्तुत की गई है:

तालिका 2.5: सबसे पिछड़े ब्लॉकों में एफएचटीसी उपलब्ध कराने में प्रगति

सबसे पिछड़े ब्लॉक में परिवारों की संख्या (02 जनवरी 2025 तक)	15 अगस्त 2019 तक विद्यमान एफएचटीसी का विवरण	जेजेएम के अन्तर्गत समावेशित किये जाने वाले बाकी परिवारों की संख्या	जेजेएम के अन्तर्गत समावेशित किए गए परिवार (02 जनवरी 2025 तक)
5,55,626	9,333	5,46,293	63,646 (शेष बस्तियों का 11.65 प्रतिशत)

स्रोत: www.ejalshakti.gov.in पर उपलब्ध जेजेएम रिपोर्ट

उपरोक्त **तालिका 2.5** से स्पष्ट है कि राजस्थान के सबसे पिछड़े ब्लॉकों में केवल 11.65 प्रतिशत परिवारों को जेजेएम के अन्तर्गत एफएचटीसी प्रदान किए गए थे। इसका अर्थ है कि 88.35 प्रतिशत परिवार अभी भी नल जल कनेक्शन से वंचित हैं, जबकि इन क्षेत्रों को मिशन मोड में जेजेएम के तीव्र क्रियान्वयन के लिए चिन्हित किया गया था।

विशेष रूप से, बालोतरा जिले के पन्याला कलां ब्लॉक एवं फलौदी जिले के बापिनी ब्लॉक में किसी भी परिवार को एफएचटीसी उपलब्ध नहीं कराया गया, जबकि 24 में से 16 ब्लॉकों में 07 सितंबर 2024 तक समावेशन 10 प्रतिशत से कम रहा।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (नवंबर 2025) कि विभाग सबसे पिछड़े ब्लॉकों में समावेशन बढ़ाने के प्रयासों को त्वरित कर रहा है, एवं बालोतरा जिले के पन्याला कलां ब्लॉक पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह भी सूचित किया गया कि लेखापरीक्षा के पश्चात क्रमिक प्रगति हुई है, एवं ऐसे ब्लॉकों में कुल 95,212 एफएचटीसी (17.12 प्रतिशत) प्रदान किए जा चुके हैं।

2.1.6 नल कनेक्शनों की कार्यशीलता का आंकलन करने हेतु फ्लो मीटर/घरेलू मीटर स्थापित नहीं किए गए

एफएचटीसी के लिए पर्याप्त जल आपूर्ति की मात्रा एक अनिवार्य पहलू है। जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार, राजस्थान में न्यूनतम पेयजल आपूर्ति का मानक 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) है। पेयजल की मात्रा का मापन ग्राम अवसंरचना के कुछ निश्चित बिंदुओं पर फ्लो मीटर एवं परिवारों के परिसर में घरेलू मीटर स्थापित करके किया जा सकता है।

तथापि, यह देखा गया कि राज्य ने जेजेएम के अन्तर्गत घरेलू मीटर स्थापित करने का कोई प्रावधान नहीं किया। परिणामस्वरूप, परिवारों को आपूर्ति किए जाने वाले जल की वास्तविक मात्रा की निगरानी का कोई भरोसेमंद तंत्र नहीं है।

इसके अतिरिक्त, सितंबर से दिसंबर 2024 के बीच 28 चयनित ग्राम अवसंरचनाओं की फील्ड स्टडी में यह पाया गया कि 14 ग्रामों में विलेज ट्रांसफर चैंबर (वीटीसी) पर फ्लो मीटर स्थापित नहीं थे, जबकि छः अन्य ग्रामों में फ्लो मीटर स्थापित होने के बावजूद वे कार्यशील नहीं थे।

घरेलू मीटर के अभाव और महत्वपूर्ण ग्राम अवसंरचना में फ्लो मीटर की स्थापना नहीं होने या कार्यशील नहीं होने के कारण राज्य के पास यह सुनिश्चित करने का कोई भरोसेमंद तंत्र नहीं है कि एफएचटीसी निर्धारित मानक 55 एलपीसीडी के अनुसार जल प्रदान कर रहे हैं या नहीं। यह कमी नल कनेक्शनों की कार्यशीलता के मूल्यांकन को प्रभावित करती है, समावेशन के रूप में केवल कनेक्टिविटी को ही प्रतिवेदित कर देने का जोखिम बढ़ाती है, एवं इस आश्वासन को सीमित करती है कि परिवारों को पर्याप्त और सतत पेयजल मिल रहा है। इसके परिणामस्वरूप जेजेएम की प्रभावशीलता और परिणामोन्मुखी उद्देश्य कमजोर होते हैं। यह स्थिति जेजेएम परिचालन दिशा-निर्देशों का भी उल्लंघन है, जो सटीक मापन को सेवा वितरण का एक प्रमुख संकेतक मानते हैं।

लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान, चयनित गांवों के 560 परिवारों में से 389 लाभार्थियों (69.46 प्रतिशत) ने निर्धारित न्यूनतम 55 एलपीसीडी के अनुसार जल प्राप्त होना अवगत कराया, जबकि 171 लाभार्थियों (30.54 प्रतिशत) ने कहा कि आपूर्ति निर्धारित मानक से कम है।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (नवंबर 2025) कि राज्य नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में एकल ग्राम योजनाओं और बहु-ग्राम योजनाओं में घरेलू मीटर स्थापित नहीं किए जाते, तथा ग्राम में जल आपूर्ति का मापन, पंप हाउस एवं ओएचएसआर में स्थापित मीटरों के माध्यम से किया जा रहा है।

मीटर स्थापना संबंधी उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अधिकांश चयनित गांवों के वीटीसी में फ्लो मीटर या तो स्थापित नहीं थे अथवा अकार्यशील थे।

2.2 आउटकम

जेजेएम, ग्रामीण परिवारों को एफएचटीसी प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य के अतिरिक्त, चार प्रमुख मापनीय आउटकम प्राप्त करने का भी प्रयत्न करता है, जैसे कि ग्रामीण समुदायों की स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार, महिलाओं और बालिकाओं के श्रम भार में कमी एवं महिलाओं का सशक्तीकरण, उच्च प्राथमिक स्तर की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर में कमी तथा ग्रामीण समुदायों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि। इन आउटकम का आंकलन, मूल्यांकन अध्ययन/कार्यशीलता आंकलन एवं सामाजिक लेखापरीक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। मुख्य अभियन्ता (जेजेएम) तथा चयनित पीएचईडी खण्डों के अभिलेखों की जांच में निम्नलिखित अनियमितताएं प्रकट हुईः

2.2.1 परिकल्पित परिणामों का आंकलन करने हेतु मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया जाना

जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों के क्लॉज 5.2 के अनुसार, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) की कार्यकारी समिति द्वारा मूल्यांकन अध्ययन किया जाना था। इसके अतिरिक्त, क्लॉज 8.6 के अन्तर्गत एसडब्ल्यूएसएम द्वारा वार्षिक कार्य-अनुसंधान और समवर्ती मूल्यांकन अध्ययन अनिवार्य थे, ताकि ग्रामीण जल आपूर्ति प्रबंधन के लिए साक्ष्य-आधारित नीति हस्तक्षेप संभव हो सके।

फरवरी 2021 में आयोजित बैठक में, एसडब्ल्यूएसएम की कार्यकारी समिति ने प्रावधानों के अनुरूप मूल्यांकन अध्ययन, प्रभाव आंकलन तथा अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को आरंभ करने हेतु एक एजेंडा नोट तैयार करने तथा यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया कि इस विषय का प्रत्येक आगामी बैठक में संज्ञान में लिया जाए।

तथापि, लगभग चार वर्षों के बाद भी, जेजेएम के ग्रामीण समुदायों की स्वास्थ्य स्थिति, महिलाओं के सशक्तिकरण, लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर एवं रोजगार में वृद्धि के सम्बन्ध में जेजेएम के प्रभाव का आंकलन एसडब्ल्यूएसएम द्वारा नहीं किया गया। इसके अलावा, एसडब्ल्यूएसएम की कार्यकारी समिति की आगामी बैठकों में मूल्यांकन अध्ययन के विषय को सम्मिलित नहीं किया गया, जैसाकि 25 फरवरी 2021 की बैठक में निर्णय लिया गया था।

अनिवार्य मूल्यांकन अध्ययन आरम्भ न करने में इस विफलता के परिणामस्वरूप, जेजेएम की प्रगति के आंकलन एवं सेवा वितरण में सुधार के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया चक्र अनुपस्थित रहा, जिससे राज्य की साक्ष्य-आधारित सुधारात्मक कार्रवाई करने की क्षमता कमजोर हुई।

जेजेएम के लाभार्थियों पर प्रभाव आंकलन हेतु सितंबर से दिसंबर 2024 के बीच 560[4] ग्रामीण परिवारों (153 एससी/एसटी, 407 ओबीसी/सामान्य लाभार्थी) का लाभार्थी सर्वेक्षण किया गया, जिसमें से 211 महिलाएं थीं। इस सर्वेक्षण में लाभार्थियों से प्रश्नावली के माध्यम से वार्ता की गई। सर्वेक्षण के परिणाम निम्नानुसार हैं:

- जेजेएम लागू होने से पहले जल लाने में लाभार्थियों को बहुत अधिक समय लगता था, जैसा कि नीचे **तालिका 2.6** में विवरण दिया गया है:

तालिका 2.6: जेजेएम लागू होने से पहले लाभार्थियों को जल लाने में लगने वाला समय

क्रम स.	पानी लाने में लगा समय	उत्तर देने वाले लाभार्थियों की संख्या (कुल 560 लाभार्थियों में से)	सर्वेक्षण किए गए लाभार्थियों का प्रतिशत
1.	प्रतिदिन एक घंटे तक	169	30.18
2.	प्रतिदिन एक से दो घंटे तक	160	28.57
3.	प्रतिदिन दो से तीन घंटे तक	65	11.61
4.	प्रतिदिन तीन घंटे से अधिक	20	3.57
5.	पानी की अपनी व्यवस्था	145	25.89
6.	जवाब नहीं दिया	1	0.18

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा किया गया लाभार्थी सर्वेक्षण

- इसी प्रकार, जेजेएम लागू होने से पहले लाभार्थियों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, जैसा कि नीचे **तालिका 2.7** में विवरण दिया गया है:

[4] प्रत्येक 28 चयनित गांवों से 20-20 लाभार्थी।

तालिका 2.7: जेजेएम से पहले लाभार्थियों द्वारा पानी लाने में तय की गई दूरी का विवरण

क्रम स.	पानी लाने में तय की गई दूरी	उत्तर देने वाले लाभार्थियों की संख्या (कुल 560 लाभार्थियों में से)	सर्वेक्षण किए गए लाभार्थियों का प्रतिशत
1.	प्रतिदिन एक किमी तक	284	50.71
2.	प्रतिदिन एक से दो किमी से अधिक	33	05.89
3.	प्रतिदिन दो से तीन किमी से अधिक	34	06.07
4.	प्रतिदिन तीन किमी से अधिक	81	14.46
5.	लागू नहीं (घर पर खुद का इंतज़ाम)	128	22.86

स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा किया गया लाभार्थी सर्वेक्षण

तालिका 2.6 एवं 2.7 से प्राप्त प्रमुख निष्कर्ष:

1. जेजेएम लागू होने से पहले, अधिकांश लाभार्थियों को जल लाने में काफी समय लगता था। सर्वेक्षण किए गए परिवारों में से लगभग 43.75 प्रतिशत परिवार प्रतिदिन एक घंटे से अधिक समय जल लाने में व्यतीत करते थे, जबकि 15.18 प्रतिशत परिवार प्रतिदिन दो घंटे से अधिक समय व्यतीत करते थे। यह विशेष रूप से उन परिवारों के लिए रोजमर्रा के श्रम के अत्यधिक बोझ को प्रदर्शित करता है, जिनके पास अपने जल का प्रबंध नहीं था।

2. लगभग 26 प्रतिशत लाभार्थियों को जल लेने के लिए प्रतिदिन एक किलोमीटर से अधिक दूरी तय करनी पड़ती थी, जिसमें 14.46 प्रतिशत ऐसे थे जिन्हें प्रतिदिन तीन किलोमीटर से अधिक चलना पड़ता था। यह जेजेएम लागू होने से पहले जल-अभाव वाली बस्तियों में पहुँच की गंभीर बाधाओं को दर्शाता है।

3. जेजेएम के अन्तर्गत समावेशन प्राप्त होने के बाद, लाभार्थियों ने बताया कि अब उन्हें लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता नहीं है और समय की बचत हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि नल कनेक्शन ने पेयजल तक भौतिक पहुँच को काफी हद तक सुधार दिया और रोजमर्रा के श्रम को कम किया।

इसके अलावा, केवल 27.68 प्रतिशत लाभार्थियों ने जेजेएम समावेशन के बाद जलजनित रोगों में कमी पाई, जबकि 33.93 प्रतिशत ने कोई सुधार नहीं पाया एवं 38.39 प्रतिशत अनिश्चित थे या उत्तर नहीं दिया। यह इंगित करता है कि स्वास्थ्य लाभ, यद्यपि विद्यमान थे, किंतु वे न तो व्यापक थे एवं न ही लाभार्थियों के एक बड़े वर्ग को स्पष्ट रूप से महसूस हुए।

यद्यपि जेजेएम ने पहुँच में सुधार एवं समय की बचत के संदर्भ में ठोस लाभ प्रदान किए हैं, तथापि स्वास्थ्य परिणामों के संबंध में लाभार्थियों की अनिर्णीत धारणा यह दर्शाती है कि मिशन के व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाव को स्थापित करने हेतु जल गुणवत्ता की बेहतर सुनिश्चितता, सतत आपूर्ति तथा परिणामों के प्रणालीबद्ध मूल्यांकन की आवश्यकता है।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (अगस्त 2025) कि यूनिसेफ, एसडब्ल्यूएसएम के साथ मिलकर चयनित जिलों में अनुसंधान अध्ययन करता है, एवं इन मूल्यांकनों से राज्यस्तरीय निर्णय लेने हेतु इनपुट प्राप्त होते हैं। साथ ही यह भी बताया गया कि स्वतंत्र मूल्यांकन/प्रभाव आंकलन अध्ययन, भविष्य में परामर्शदाताओं के माध्यम से किए जाएंगे, ताकि साक्ष्य-आधारित सुधारात्मक उपाय अपनाए जा सकें।

2.2.2 सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं किया जाना

जेजेएम के परिचालन दिशानिर्देशों के क्लॉज 5.4 (xviii) के अनुसार, सामाजिक लेखापरीक्षा का कार्य जीपी/वीडब्ल्यूएससी द्वारा किया जाना था, ताकि सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से निर्धारित परिणामों का मूल्यांकन किया जा सके। सामाजिक लेखापरीक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से किसी कार्यक्रम के लाभार्थी एवं हितधारक इसके क्रियान्वयन का मूल्यांकन करते हैं, ताकि पारदर्शिता, जवाबदेही और सामुदायिक आवश्यकताओं की अनुरूपता सुनिश्चित की जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि स्पष्ट दिशा-निर्देशों के बावजूद, राज्य सरकार ने जेजेएम के अन्तर्गत समावेशित ग्रामों में सामाजिक लेखापरीक्षाओं के लिए कोई संस्थागत तंत्र स्थापित नहीं किया। न तो कोई दिशा-निर्देश/आदेश जारी किए गए, और न ही सामाजिक लेखापरीक्षा कराने के लिए किसी तृतीय पक्ष/एनजीओ को नामित किया गया।

जेजेएम के अन्तर्गत सामाजिक लेखापरीक्षाएं निष्पादित करने हेतु संरचित तंत्र की अनुपस्थिति ने सामुदायिक भागीदारी को सीमित किया एवं ग्रामस्तर पर मिशन को महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया तथा जवाबदेही के साधन से वंचित किया। सामाजिक लेखापरीक्षाओं के बिना, लाभार्थियों के पास समावेशन, कार्यशीलता और जल आपूर्ति की पर्याप्तता का सत्यापन करने या गुणवत्ता, समानता एवं सततता से जुड़े विषय उठाने का सीमित अवसर था। इससे पारदर्शिता तथा स्थानीय स्वामित्व दुर्बल हुआ, शिकायत निवारण की प्रभावशीलता में कमी आई, एवं यह आंकलन करने की राज्य की क्षमता सीमित हो गई कि मिशन के परिकल्पित परिणाम धरातल पर वास्तविकता में प्राप्त हो रहे थे या नहीं।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (नवंबर 2025) अवगत कराया कि सामाजिक लेखापरीक्षा, गतिविधियों के क्रियान्वयन के बाद के चरण में क्रियान्वयन सहायता एजेंसियों (आईएसए) द्वारा की जा रही है, एवं सभी परिवारों को एफएचटीसी मिलने के बाद सामाजिक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट समेकित की जाएगी। साथ ही यह भी बताया गया कि भविष्य की योजनाओं में विशेष उद्देश्य-उन्मुख सामाजिक अध्ययन को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है।

2.3 निष्कर्षों का सारांश

इस अध्याय में यह प्रकट हुआ कि घरेलू नल कनेक्शनों के समावेशन एवं कार्यशीलता दोनों में लगातार कमी रही, साथ ही, राज्य जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग और हर घर जल प्रमाणन में काफी पीछे है। प्राथमिकता वाले क्षेत्र यथा जल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियाँ, आकांक्षी जिले, पीवीटीजी बस्तियाँ तथा विद्यालय एवं आंगनवाड़ी जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थान अभी भी पर्याप्त रूप से समाविष्ट नहीं हैं। फ्लो मीटरों और घरेलू मीटरों की अनुपस्थिति ने सेवा वितरण

की निगरानी को कमजोर किया है, जबकि अनिवार्य मूल्यांकन अध्ययन एवं सामाजिक लेखापरीक्षाएं नहीं की गईं, जिससे पारदर्शिता तथा सुधारात्मक हस्तक्षेप सीमित रहे। लाभार्थी सर्वेक्षणों से कुछ सुधार एवं सामान्य संतोष परिलक्षित हुआ। समग्र रूप से, जेजेएम के अंतर्गत राज्य का प्रदर्शन अपेक्षाओं से काफी नीचे रहा, जिससे सुरक्षित पेयजल तक व्यापक, विश्वसनीय एवं समानतापूर्ण पहुँच के मिशन के उद्देश्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

2.4 सिफारिशें

- *राज्य सरकार जल गुणवत्ता से प्रभावित बस्तियों, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों को समयबद्ध कार्ययोजना के माध्यम से, नियमित समीक्षा सहित, प्राथमिकता प्रदान कर सकती है।*

- *राज्य सरकार, जेजेएम की परिचालन निर्देशिका की परिकल्पना अनुसार, स्वास्थ्य परिणामों, श्रमभार में कमी, बालिकाओं की विद्यालय में उपस्थिति तथा आजीविका पर प्रभाव को सम्मिलित करते हुए, निर्धारित अंतराल पर स्वतंत्र मूल्यांकन अध्ययनों को प्रारम्भ करने हेतु राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) की कार्यकारी समिति को निर्देश दे सकती है।*

- *राज्य सरकार निगरानी एवं जवाबदेही को सुदृढ़ करने के लिए कार्यशील फ्लो मीटरों/घरेलू मीटरों की स्थापना सुनिश्चित कर सकती है तथा नियमित मूल्यांकन अध्ययन एवं सामाजिक लेखापरीक्षायें करवा सकती है।*

- *राज्य सरकार जेजेएम के अंतर्गत सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन हेतु विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर सकती है, जिनमें क्षेत्राधिकार, आवृत्ति, ग्राम पंचायतों/ वीडब्ल्यूएससी की भूमिकाएँ तथा प्रतिवेदन प्रारूपों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए।*